न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–696/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00129)

1. जगतार सिंह पुत्रान उधमसिंह, जाति रायसिख निवासी भटकोल, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर (मृतक)
   1/1. रतनसिंह पुत्र स्व. श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख उम्र करीब 35 साल,
   1/2. निरंजन कौर पत्नी स्व. श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख उम्र करीब 60 साल,
   1/3. रंजना बाई पुत्री स्व. श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख निवासीयान ग्राम भटकोल तहसील किशनगढबास, जिला अलवर राजस्थान।
   1/4. रतनोंबाई पुत्री स्व. श्री जगतार सिंह पत्नी प्रीतमसिंह, जाति रायसिख निवासी शाहबाद नंगला, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थन।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. सीतोबाई स्त्री धर्मसिंह जाति रायसिख, निवासी नबीनगर, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

––असल रेस्पोडेन्ट

1. अवतार सिंह, पुत्रान उधमसिंह, जाति रायसिख, निवासी भटकोल, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 31.01.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान के आदेश दिनांक 07.09.09 (प्रकरण संख्या 11/2008) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.09.09 की कोई जानकारी अपीलान्ट को नही थी, अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि इसी संदर्भ में अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के समक्ष विचाराधीन है इसलिये इस मुकदमें में बहस न सुनी जाकर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर में चल रहे मुकदमें के निर्णय का इन्तजार किया जावें जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा हमें आश्वासन दिया कि आप न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर से जैसा भी निर्णय हो लाकर पेश कर दे इसके पश्चात् ही बहस सुनी जायेगी इस पर अपीलान्ट निश्चित हो गये कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर का अपील में निर्णय होने के पश्चात् ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष बहस हो पायेगी, इस वजह से अपीलान्ट तहसीलदार के समक्ष हाजिर नही हुऐ लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पीछे से बहस सुनकर एकतरफा म आदश पारत किया ह जिसका काइ जानकारी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट को नही थी और ना ही अपीलान्ट के वकील ने अपीलान्ट को निर्णय बाबत कोई सूचना दी कि तुम्हारा नामान्तरकरण संख्या 221 निरस्त कर तहसीलदार किशनगढबास ने उधमसिंह के 4 वारिसान क्रमाशः अवतारसिह, जगतारसिंह, राजोबाई व सीतोबाई मानकर फैसला दिया है, जिस पर अपीलान्ट तुरन्त तहसील कार्यालय गये तथा नकल के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2010 को प्रस्तुत किया, दिनांक 14.01.2010 को नकल प्राप्त हुई, जो जानकारी की तारीख से अपील साधारण अन्दर मियाद पेश की गई तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश की किया गया है जो स्वीकार होने योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 207/478 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 185 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 348 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, उधमसिंह की खरीदशुदा कब्जे काश्त की आराजी थी, उधमसिंह के मात्र दो पुत्र जगतारसिंह व अवतार सिंह हुये, उधमसिंह के कोई पुत्री नही थी, असल रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत तरीके से स्वयं को उधमसिंह की नवासी बताकर नामान्तरकरण संख्या 221 में 1/3 हिस्सा दर्ज करने की प्रार्थना की जबकि वास्तव में गुर्रोबाई, उधमसिंह की पुत्री व सीतोबाई उधमसिंह की नवासी नही है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उधमसिंह के 4 वारिसान मानकर उधमसिंह की विरासत का नामान्तरकरण जगतारसिंह, अवतारसिंह, राजोबाई व सीतोबाई के हक में दर्ज करने का निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी उधमसिंह द्वारा सुन्दरीबाई बेवा हरदासमल से जरिये बैयनामा दिनांक 08.04.1981 को खरीद की गई थी जिस पर उधमसिंह अपने 2 पुत्रों जगतार सिंह व अवतारसिंह के साथ काबिज होकर काश्त करता था, उधमसिह का सन् 1996 में देहावसान हो गया, उदमसिंह के मात्र 2 पुत्र जगतारसिंह व अवतारसिंह है तथा एक पत्नी राधोबाई थी, राधाबाई का देहावसान भी नामान्तरकरण संख्या 221 उधमसिंह की विरासत का चढने से पूर्व ही हो गया था लिहाजा नामान्तरकरण संख्या 221 सही प्रकार से जगतारसिंह व अवतारसिंह के हक में दर्ज व मंजूर किया गया है। उन्होने कथन किया है कि उधमसिंह के मात्र 2 पुत्र जगतारसिंह व अवतार सिंह है, सीतोबाई द्वारा अपीलान्टान से रंजिश रखने वाले 3 व्यक्तियों की गलत तरीक से बयान करवाकर स्वयं का उधमसिंह की नवासी व एक दीगर महिला राजोबाई को उधमसिंह की पुत्री बताकर गलत तरीक से निर्णय पारित कराया है, जो काबिले निरस्त है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है पटवारी हल्का द्वारा गांव में जाकर विस्तृत जॉच की तथा अपनी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर स्पष्ट रूप से अंकित किया कि उधमसिंह के मात्र 2 पुत्र अवतारसिंह व जगतारसिंह है इसके अलावा कोई वारिस मौजूद नही है, पटवारी की स्पष्ट रिपोर्ट आने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीतोबाई व राजोबाई को उधमसिंह का वारीस मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की गई है जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है। उन्होने कथन किया है कि राजोबाई

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा कभी स्वयं को उधमसिंह की पुत्री नही बताया गया, राजोबाई तोबसिंह की पुत्री है जो पंजाब की रहने वाली है, राजोबाई उधमसिंह की पुत्री नही है इसके अलावा गुर्रोबाई भी उधमसिंह की पुत्री नही है, सीतोबाई द्वारा गलत तरीके से गुर्रोबाई को उधमसिंह की पुत्री व स्वयं का उधमसिंह की नवासी बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश किये गये तथा शेखपुर गांव के बलवन्तसिंह के गलत प्रकार से बयान कराकर स्वयं को उधमसिंह की नवासी साबित करने की कोशिष की गई है, जो सरासर गलत है, बलवन्त सिंह सीतोबाई का सगा समधी है, शेखपुर व भटकोल में करीब 20 किलोमीटर का फासला है जिससे भी सबित है कि सीताबई द्वारा गलत गवाहान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये है जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2009 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 28. 12.2004 पूर्ववत बहाल रखे जाने की आज्ञा सादिर की जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास द्वारा मृतक खातेदार उधमसिंह के पडौसी, रिश्तेदार व अन्य व्यक्तियों के बयानात एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट इत्यादि लेकर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए मृतक खातेदार के सभी वारिसान पुत्र एवं पुत्रीयों के समान भाग में विरासत का नामान्तरकरण खोलने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2009 को पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2009 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।